मोहनलाल जाट बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व विविध संख्या 448 / 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
29/6/18	प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार देसूरी उपस्थित। पत्रावली एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं तहसीलदार देसूरी को सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सादडी में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 4501 रकबा 1.03 हेक्टर भूमि पूर्व में भोमा पुत्र सरूप के नाम दर्ज थी। भोमा के स्वर्गवास होने पर उसके तीन पुत्र जसाराम ,पेमाराम, गंगाराम पि. भोमा के नाम बन्दोवस्त से पूर्व गत खसरा नम्बर 576 जरिये नामान्तरकरण संख्या 1437 दिनांक 18.01. 1983 दायर किया गया। परन्तु भू प्रबंध विभाग से प्राप्त नवीन रेकार्ड में जसाराम पुत्र भोमा के स्थान पर लच्छा पुत्र भोमा अंकित गलत रूप से कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड में सही एवं दुरस्त नाम जसाराम पुत्र भोमा अंकित किया जाना चाहिये था। यह भी निवेदन किया गया कि उक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य धारित भूमि खसरा नम्बर 5654 में सही इन्द्राज किया गया। परन्तु 5649 व 5651, 5652, 5653, 5659, 5660, 5661, 5662 व 6362 में भी जसाराम के स्थान पर लच्छा गलत दर्ज किया गया। अतः राजस्व रेकार्ड में लच्छा भोमा के स्थान पर जसाराम पुत्र भोमा अंकन किया जाना था, का निवेदन किया गया। इस संबंध में तहसीलदार देसूरी व पटवारी भू.अ.नि. सादडी ने जांच प्रतिवेदन / जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम जसाराम पुत्र भोमा है, परन्तु राजस्व रेकार्ड में भू–प्रबंध विभाग द्वारा लच्छा पुत्र भोमा गलत रूप से अंकित किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा धारित भूमि मौजा सादडी चक प्रथम के खसरा नम्बर 4501 व सादडी चक द्वितीय में धारित भूमि खसरा नम्बर 5649 व 5651, 5652, 5653, 5659, 5660, 5661, 5662 व 6362 में प्रार्थी के पिता का शुद्ध नाम अंकित करने की अनुशंषा की गई। अतः माफिक अनुशंषा अप्रार्थी तहसीलदार देसूरी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजा सादडी चक प्रथम प्रार्थी द्वारा धारित भूमि मौजा सादडी चक प्रथम के खसरा नम्बर 4501 व सादडी चक द्वितीय में धारित भूमि खसरा नम्बर 5649 व 5651, 5652, 5653, 5659, 5660, 5661, 5662 व 6362 में प्रार्थी के पिता का सही नाम लच्छाराम पुत्र भोमा के स्थान पर जसाराम पुत्र भोमाराम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का सादडी चक प्रथम व चक द्वितीय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो। (राजेश मेवाड़ा) उपखण्ड अधिकारी देसूरी क्रमांक / रीडर / 2018 / 566-68 दिनांकः– 23-7-18 प्रतिलिपि :– 1. तहसीलदार देसूरी 2. पटवारी हल्का सादडी चक 1 व 2।	मोहनलाल जाट